प्रेस विज्ञप्ति

08/03/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने इरफान सोलंकी और अन्य के मामले में 07-03-2024 को कानपुर और मुंबई में 6 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली है। यह तलाशी इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, उनके सहयोगी रियल एस्टेट बिल्डर शौकत अली और कानपुर के हाजी वसी के आवास पर की गई।

ईडी ने इरफान सोलंकी और उसके सहयोगियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां)रोकथाम (अधिनियम ,1986 की विभिन्न धाराओं के तहत कानपुर सिटी पुलिस द्वारा धमकी, बाहुबल और राजनीतिक प्रभाव से नजरूल संपत्ति सहित निजी और सरकारी दोनों भूमि पर अवैध निर्माण और बिक्री संबंधित मामलों में दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आगे आरोप लगाया कि इरफान सोलंकी झूठे दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड प्राप्त करके अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को भारत में बसने में सहायता करने में शामिल था।

ईडी की जांच से पता चला है कि अवैध धन को इधर-उधर करने और दागी आय को वैध व्यावसायिक आय का रंग देने के लिए फर्जी व्यावसायिक संस्थाएं बनाई गई हैं। तलाशी के दौरान पता चला कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी ने 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले बेहद शानदार 3 मंजिला बंगले में रहते हैं। । यह ध्यान में रखते हुए कि अपराध की आय का उपयोग घर के निर्माण के लिए किया गया था, संपत्ति का मूल्यांकन तलाशी कार्रवाई के दौरान किया गया था जो 10 करोड़ रुपये (लगभग) से ऊपर है।

तलाशी अभियान के दौरान 26 लाख रुपये की नकदी, डिजिटल उपकरण, हस्तलिखित डायरियों के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जिनमें अवैध रसीदें, साझेदारी में निवेश, भूमि सौदे और लगभग 40-50 करोड़ रुपये के नकद खर्च का विवरण है, साक्ष्य जो लगभग 5 करोड़ रुपये के मुंबई में संपत्ति में निवेश का संकेत देते हैं को बरामद कर जब्त कर लिया गया।

आगे की जांच जारी है।